सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी – डॉ0 सौम्या झा
आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं0 64/2022 प्रा0पत्र.3 जी(5)रा.रा.अ.

1. खेताराम पुत्र हरिया (ख०न० 142, 148)
2. रामखिलाडी उर्फ ख्यालीराम पुत्र मूलचन्द (ख0न0 147, 136)
3. मुकेश पुत्र मूलचन्द (ख०न० 147, 131/1037, 144, 146)
4. मोहनलाल पुत्र रामकरण (ख०न० 131/1037)
5. पप्पुराम पुत्र मूलचन्द (ख0न0 147)
6. रामकरण पुत्र हरिया (ख0न0 149)

समस्त जाति माली निवासी ग्राम आमाली आभानेरी तह० बसवा जिला दौसा

... प्रार्थीगण

बनाम

1. परियोजना निदेशक, भारतमाला परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण संख्या 148 दिल्ली से बडौदरा एक्सप्रेस हाईवे रावत पैलेस के पीछे, गंगा विहार कॉलोनी, दौसा जिला दौसा।
2. राज0 सरकार जरिये भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई जिला दौसा

... अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3 जी(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956

उपस्थित– 1. श्री रामप्रकाश सैनी, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री गौरव जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।

निर्णय दिनांक 3.6.2026

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, बांदीकुई द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 148 एन के अंतर्गत ग्राम आमाली के खसरा नंबर 142, 148, 147, 136, 131/1037, 144, 146, 149 के पारित के पारित मुआवजा अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कियागया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कियागया। अप्रार्थीगण को तलब कियागया व अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि भारत सरकार द्वारा भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन दिल्ली से बडोदरा एक्सप्रेस हाईवे 8 लेन के निर्माण हेतु ग्राम रामा अमाली ग्राम पंचायत आभानेरी में ख0न0 136, 148, 142, 147, 144, 146, 149, 131 / 1037 की भूमि को दिल्ली से बडोदरा एक्सप्रेस हाईवे 8 लेन में भूमि अवाप्ति अधिकारी बांदीकुई द्वारा अवाप्त किया गया था । उपरोक्त अवाप्त की गयी भूमि का मुआवता प्रार्थीगण को मनमाने तरीके से बिना आधार के प्रदान किया गया जो कि कम भुगतान किया गया है। जो उक्त भूमि को अवाप्त करते समय प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि में फलदार बगीचा लगा हुआ था जिसमें करीबन 87 फलदार पेड लगे हुए थे तथा सिंचाई के लिए पाईप लाईने डली हुई थी। भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्त की गयी भूमि के ख0न0 136, 144, 146, 148, 142, 147, 149, 131/1037 में लगे हुए फलदार पेड स्थित थे। इस प्रकार उक्त खसरा नंबरों में अंकित सभी 87 पेड बडे बडे थे तथा जिनमें फल आ रहे थे जिनका मुआवजा देने के लिए सर्वे भी किया गया था। सर्वे के उपरान्त सभी पेडो को कम्पनी द्वारा जे सी बी से उखडवा दिया गया था तथा उक्त 87 पेडो की सिचाई के लिए डाली गयी पाईप लाईनो को

जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

भी नष्ट कर दिया गया था । पेडो व पाईपो को उखडवाते समय प्रार्थीगणो द्वारा फोटोग्राफी व वीडियोग्राफी ली गयी है और उसके उपरान्त पेडो को अवाप्त करने का मुआवजा प्राप्त करने के लिए सक्षम अधिकारी से मुआवजा प्राप्त करने का आवेदन कर कई बार मुआवजा प्राप्त करने का आवेदन दिया गया परन्तु प्रार्थीगण को अब तक पेडो का मुआवजा नही मिला है। पेडो व पाईप लाईनो की कीमत कई लाख रूपयो में थी जिनमें कई पेडो में अच्छे फलदार फल आते थे व प्रार्थीगण उन फलो को बाजार में बेचकर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करते चले आ रहे थे। प्रार्थीगण ने काफी मेहनत करके अपने खेतो में पेड लगाये थे परन्तु भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन एच दिल्ली से बडोदरा एक्सप्रेस हाईवे 6 लेन के निर्माण हेतु प्रार्थीगण के बडे बडे फलदार वृक्षो व पाईप लाईन जो समय समय पर पेडो की सिंचाई के लिए काम आती थी, को नष्ट कर दिया गया व उनकी ऐवज में प्रार्थीगणो को किसी भी प्रकार का मुआवजा भी नही दिया गया। भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन एच दिल्ली से बडोदरा एक्सप्रेस हाईवे 8 लेन के निर्माण हेतु किसी भी खातेदार व खातेदारो के निर्माण भवन व उस भूमि पर खातेदार द्वारा किया गया किसी भी प्रकार का निर्माण व खातेदार द्वारा लगाये गये पेडो का मुआवजा बिना खातेदार को दिये । भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग अपना निर्माण नही करवा सकते जबकि बिना प्रार्थीगण को पेडो का मुआवजा दिये बिना खातेदार की भूमि पर बिना उसकी सहमति के तेज प्रगति से सडक का काम पूरा भी कर लिया है। प्रार्थीगण को उनकी खातेदारी भूमि में लगे फलदार पेडो व सिंचाई के लिए लगी पाईप लाईन का मुआवजा दिये बिना सडक निर्माण का कार्य पूर्ण नही करवाया जा सकता है और नाही आवागमन हेतु सडक का उपयोग किया जा सकता है । प्रार्थीगण जो कि ग्रामीण परिपेक्ष के भोले भाले व्यक्ति है अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीगण को उक्त पेडो की मुआवजा राशि निर्धारित किये बिना ही सड़क का निर्माण पूर्ण कर लिया है व प्रार्थीगण द्वारा कई बार सूचना देने के बाद भी अब तक प्रार्थीगण के पेडो व सिंचाई पाईप लाईन का मुआवजा ना तो बनाया गया और ना ही कोई संतुष्टिप्रद जवाब दिया गया । अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण के पेडो व सिचाई पाईप लाईनो की मुआवजा राशि निर्धारित किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि बाबत अवार्ड प्रार्थीगण के पक्ष में नियमानुसार जारी किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें ।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब बहस में कथन किया कि प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा पेश किये गये है जो कि किसी भी रूप में संबंद्ध पक्षकार/प्राथीगण नहीं कहे जा सकते क्योकि उक्त सभी पक्षकार उनके कथनानुसार अलग–अलग खसरान के खातेदार है। समस्त पक्षकारो द्वारा अपने खातेदारी के रकबे में लगे हुए फलदार पेडो की अलग–अलग गणना प्रस्तुत की है जिसके अनुसार उनके द्वारा अलग–अलग मुआवजा राशि की मांग की गई है। अतः गलत पक्षकारो को जोडने के आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अपोषणीय होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। भारत सरकार के अधीन सड़क परिवहन एवम राजमार्ग मंत्रालय द्वारा व्यापक लोक हित को देखते हुये राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या – 148 – एन के 149.000 कि0मी0 से 170.800 कि0मी0 तक के भूखण्ड के निर्माण (चौडा करने/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने/ 4 लेन का बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन हेतु भूमि आवाप्ति हेतु एन. एच. एक्ट की धारा 3A की अधिसूचना दिनांक 28/09/2018 को प्रकाशित करवायी गयी। आक्षेप आमंत्रित कर उनका निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3A के अन्तर्गत अधिसूचना प्रकाशित की गई जिसमें राजस्थान राज्य के दौसा जिले के 149.000 कि०मी० से 170.800 कि०मी० तक के भूखण्ड के निर्माण (चौडा करने/पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन का बनाने /4 लेन का बनाने आदि) सड़क के निर्माण के उद्देश्य से उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई को सक्षम प्राधिकारी नियुक्त किया गया। अधिनियम की धारा 3ए की उपधारा 1 के तहत फोर लेन सड़क निर्माण में प्रयुक्त होने वाली भूमि को अवाप्त करने के लिये अधिसूचना दिनांक 28.09.2018 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय केन्द्रीय सरकार नई दिल्ली द्वारा इस अधिसूचना का प्रकाशन भारत के राजपत्र में जारी किया गया जिसे राजस्थान राज्य में अधिनियम की उपधारा

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3A (3) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दैनिक समाचार पत्रों दैनिक नवज्योति एवं राजस्थान पत्रिका में दिनांक 09.01. 2019 को प्रकाशित किया गया एवं धारा 3 C (1) के अन्तर्गत प्रत्येक हितधारी व्यक्ति जिसकी कि भूमि अर्जित की गई है उसको आपत्तियां 21 दिन के अन्दर दर्ज करवाने का अवसर दिया गया व इस बात का स्पष्ट उल्लेख भारत के राजपत्र में किया गया कि यदि हितबद्व पक्षकार को कोई आपत्ति है तो वह प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष स्वयं या अपने प्लीडर के माध्यम से उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। धारा उसी की उपधारा 2 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि प्रत्येक आपत्ति जो कि धारा 3 सी की उपधारा 1 के तहत पेश की गई है उनको सुनवाई का अवसर देगा, जांच करेगा व बाद सुनवाई आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार करेगा। प्रार्थी द्वारा धारा 3ए के नोटिफिकेशन के उपरान्त अंदर मियाद 21 दिवस के भीतर जो आक्षेप प्राप्त हुये उन पर सक्षम प्राधिकारी ने विचार कर आक्षेपों को अनुज्ञात कर लिया । नेशनल हाईवे एक्ट की धारा 3D की उपधारा–1 के अनुसार जब धारा उसी की कार्यवाही पूर्ण हो जाती है तथा कोई आपत्ति सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर दी जाती है तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा निस्तारण कर रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेज दी जाती है। केन्द्र सरकार द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर भारत का राज्य पत्र में धारा 3D के तहत अधिसूचना जारी कर यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये अर्जन किया जाना चाहिये तथा इस अधिसूचना के राज्य पत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लगंमों से मुक्त होकर अत्यंतिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जायेगी। यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि अधिनियम की धारा 3 जी की पालना में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाता हैं। धारा 3जी की उपधारा 7 के भाग A में स्पष्ट प्रावधान है कि जब भारत सरकार द्वारा धारा 3A के तहत् जब नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो उस समय अवाप्त किये जाने वाली भूमि का जो बाजार मूल्य होगा उसी के आधार पर धारा 3 जी के तहत प्राधिकृत अधिकारी मुआवजा राशि का निर्धारण करता है। धारा 3 डी के अन्तर्गत नोटिफिकेशन का प्रकाशन दिनांक 11.02.2019 को करवाया गया एवं तत्पश्चात् मुआवजा अवार्ड आदेश अन्तर्गत धारा 3जी जारी किया गया। अवाप्त भूमि पर स्थित भवन वृक्षो व फसल आदि की मुल्याकन राशि को उक्त अवार्ड में शामिल नहीं किया गया है। अप्रार्थी सं0 1 द्वारा निर्माण कार्य से पूर्व भूमि अवाप्ति हेतु स्वतंत्र एजेन्सी से सर्वे करवाया जाता है जिसमें भूमि के नाम एवं भूमि में स्थित संरचनाओं व वृक्षों आदि का भी वर्णन किया जाता है। प्रार्थीगण की भूमि में यदि किसी प्रकार के वृक्ष लगे होगे तो उनका किस्म व ऊचाई के आधार पर वर्णन अवश्य होगा और ऐसी परिस्थिति में प्रार्थीगण को स्वतः ही मुआवजा अवार्ड निर्धारण के समय नियमानुसार मुआवजा प्राप्त होगा। यदि उनकी भूमि में वृक्ष संरचनाए आदि नहीं होगी तो वह मुआवजे के हकदार नहीं होते है । प्रार्थीगण के कथनों में घोर विरोधाभास है। प्रार्थी कथन करता है कि बडे–बडे फलदार वृक्षों को पाईप लाईन से पानी दिया जाता था एवं उक्त पाईप लाईन की कीमत कई लाख रूपये थी। बडे–बडे वृक्षो को पाईप लाईन से पानी देने की आवश्यकता नहीं होती क्योकि वह भूमि से ही पानी खीचकर अपनी जल आवश्यकताओं को पूरा करते है। प्रार्थीगण द्वारा अपने खेतो में कथित पाईप लाईन की लम्बाई के संबंध में भी कोई कथन नहीं किया। भारतमाला परियोजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या – 148 एन का निर्माण किया गया है जिसका कि निर्माण के पश्चात् संचालन भी शुरू हो गया है एवं वर्तमान में उस पर निरन्तर यातायात संचालन किया जा रहा है।

5. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार ग्राम आमाली तहसील बसवा स्थित फलदार पेडो का मूल्यांकन सहायक निदेशक उधान दौसा से करवाया गया था। मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार ख0नं0 142 में नीबू के 4 पेड ख0नं0 148 मे नीबू के –4 पपीता के 8 आम के ख0नं0 144 मे आम के –1 अमरूद के – 1 अनार के 1 अमरूद के 1 मौसमी, 1 पेड, ख0नं0 136 मे नीबू के – 6 पपीता के – 3 पेड, 1 आवला के– 1 करोंदा के – 2 लसोडा के –1 नीबू के – 5 पपीता के – 6, पेड ख0नं0 146 मे आम के 1 करोंदा के 2 नीबू के 1 जामुन के 1 पेड, ख0नं0 149 मे बीलपत्र के 2 करोंदा का – 1 नीबू के 4 पेड स्थित

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

थे तथा ख0नं0 147, 131/1037 मे कोई पेड स्थित नही थे। सहायक निदेशक उधान दौसा द्वारा की गई मूल्यांकन राशी की दुगनी राशी का मुआवजा निर्धारण कर उक्त पेडो का अवार्ड दिनांक 04.03.2021 को पटवारी, भू0अ0 निरीक्षक, उपतहसीलदार बडियालकलां. तहसीलदार बसवा द्वारा प्रमाणित करने के उपरान्त विधिवत प्रक्रिया पूर्ण कर पारित किया गया है। अवार्ड के अनुसार उपरोक्त पेडो का मुआवजा संबंधित लाभार्थीयों को उनके आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उनके बैंक खातों में भुगतान किया जा चुका है। मूल्यांकन रिपोर्ट मे दर्ज फलदार पेडो के अलावा अन्य कोई फलदार पेड वरवक्त सर्वे मौके पर स्थित नही थे। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण द्वारा प्रा०पत्र मे अंकित किये गये पेड सर्वे के समय मौके पर लगे हुये स्थित नही थे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई के द्वारा प्रार्थीगण की भूमि का विधिवत अवार्ड जारी किया जाकर भुगतान किया जा चुका है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।
7. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
8. प्रार्थीगण ने मुआवजे की मांग हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में इसे साक्ष्य के अभाव और प्रक्रियागत त्रुटियों के आधार पर अस्वीकार किया है। न्यायालय ने अप्रार्थीगण के तर्कों और प्रस्तुत रिकॉर्ड के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाले हैं:

1. साक्ष्य का अभाव : अप्रार्थीगण का यह तर्क विधि–सम्मत है कि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 और 3 में उल्लिखित 87 फलदार वृक्षों और सिंचाई पाईप लाईन की उपस्थिति के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। प्रार्थीगण पर अपने दावों को सिद्ध करने का भार है, जिसका निर्वहन नहीं किया गया है।
2. आधिकारिक सर्वे पर निर्भरता: अप्रार्थी के अनुसार, भूमि अवाप्ति से पूर्व एक स्वतंत्र एजेंसी द्वारा सर्वे किया गया था। यदि इस आधिकारिक सर्वे में वृक्ष और पाईप लाईन पाए जाते, तो प्रार्थीगण को स्वतः ही नियमानुसार मुआवजा अवार्ड में प्राप्त हो जाता। मुआवजा अवार्ड में इनका मूल्यांकन शामिल नहीं होने का अर्थ है कि या तो वे सर्वे में मौजूद नहीं थे, या उन्हें अलग से मूल्यांकित किया जाना शेष है जिसके लिए साक्ष्य अपर्याप्त है।
3. साथ ही भूमि अवाप्ति अधकारी की रिपोर्ट दिनांक 22.1.2022 में स्पष्ट किया गया है कि खसरा नंबर 142, 146, 148, 149,में वृक्षों का मुआवजा दिया जा चुका है एवं खसरा नंबर 147, 131/1037 में कोई पेड स्थित नहीं थे। अतः, प्रार्थीगण द्वारा अपने दावों के समर्थन में आवश्यक दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत न करने और अप्रार्थीगण के सुदृढ़ तर्कों को देखते हुए, प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने योग्य है।

13. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण (खेताराम पुत्र हरिया एवं अन्य) का प्रार्थना पत्र अ० धारा 3जी (5) नेशनल हाईवे एक्ट 1956, खारिज किया जाता है। प्रार्थीगण द्वारा 87 फलदार वृक्षों और सिंचाई पाईप लाईन के मुआवजे की मांग के संबंध में पर्याप्त एवं विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण, यह न्यायालय उक्त मुआवजे को निर्धारित करने का कोई आदेश पारित नहीं करता है। साथ ही प्रार्थीगण अपनी मांग के संबंध में कोई अन्य विधिक उपाय अपना सकते हैं, जिसके लिए वे स्वतंत्र हैं। निर्णय की प्रति भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

निर्णय आज दिनांक जून, 2026 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की जा सकेगी।

(डॉ0 सौम्या झा)
जिला कलेक्टर,दौसा

जिला कलेक्टर, दौसा